

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 120 / 2026

धीरज

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – हरिओम गुप्ता, अनीता यादव, करम चंद यादव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हरि ओम गुप्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल शुक्ला को सुना गया।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने ग्राम पंचायत-घरुवा (घरुवा शर्की), तहसील-कैसरगंज, बहराइच में स्थित भूमि गाटा संख्या 576 (क्षेत्रफल 0.2560 हेक्टेयर) पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. तहसीलदार, कैसरगंज, बहराइच द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत भूमि के एक भाग पर पानी की टंकी का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त, कुछ व्यक्तियों ने भूमि पर निर्माण करके अतिक्रमण किया था। हालांकि सिविल जज (जू.डि.), कैसरगंज, बहराइच की न्यायालय में नियमित वाद संख्या 993 वर्ष 2020 'राम पाल बनाम बैजनाथ एवं अन्य' लंबित है, लेकिन उस वाद में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार उस वाद में पक्षकार नहीं है। इसलिए, उस वाद का लंबित होना या उस वाद में पारित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किसी भी आदेश से राज्य सरकार बाध्य नहीं होगी।

4. एक व्यक्ति द्वारा किये गए अतिक्रमण के संबंध में उ.प्र. राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या टी202308150305664 में कार्यवाही प्रारंभ की गई थी और उस मामले में दिनांक 06.11.2023 को एक आदेश पारित किया गया है। अन्य अतिक्रमणकारी के विरुद्ध कार्यवाही अभी संस्थित की जानी है।

5. तदनुसार, तहसीलदार, कैसरगंज, बहराइच को यह निर्देश जारी करते हुए इस याचिका को निस्तारित किया जाता है कि वे वाद संख्या टी202308150305664 'गांव सभा बनाम अनुज' में पारित दिनांक 06.11.2023 के आदेश का कार्यान्वयन तत्परतापूर्वक सुनिश्चित करें और रामपाल पुत्र रामसमुझ द्वारा भूमि गाटा संख्या 576 पर किये गए अतिक्रमण को हटाने के लिए उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करें तथा उसे विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक निर्णीत करें।

16 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)